

FROM No.III


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर
(SBO) बायतु..... मुकाम.....

क्रिमिनल बनावत हुजुरा राम कोठा
किस्म मुकदमा... 111/128 नं. 76/22 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2/22	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खेवारा राम जारवड</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR M-</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रैस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>8/3/22</u> को पेश हो।	
08/03/2022	प्रार्थी व वकील उपस्थित। विप्रार्थी गणों के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जितने शामिल पत्रावली विप्रा गणों। विप्रार्थी गण वाकजुड तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार कावाज लगाई गई, फिलिम कावाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी गण स्वयं मा उन्ही कोर्ट के डेई प्रतिवक्ता उपस्थित नहीं हुका विप्राज विप्रार्थी गणों के विरुद्ध एडवोकेट डायवादी समल के लाई जाले ही फिल; वास्ते बदल पत्रावली दिनांक-28/03/2022 को पेश हो।	सहायक कलेक्टर (SBO) बायतु

सहायक कलेक्टर
(SBO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज
28/03/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक जज (उप) बायतु</p>

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 289
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 28/03/2022
विप्रार्थीगण

1. करीम खां पुत्र हकीम खां,
2. गफूर खां पुत्र हकीम खां,
जाति ~~खत्री~~ निवासी पदमोणी गोदारों की ढाणी,
पटवार मण्डल बायतु चिमनजी,
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. दुर्गाराम पुत्र पुरखाराम वगैरा 11,
जाति जाट, निवासी पदमोणी गोदारों की ढाणी,
पटवार मण्डल बायतु चिमनजी,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 76/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - पदमोणी गोदारों की ढाणी, पटवार हल्का - बायतु चिमनजी, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 832/788 रकबा 18.7688 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 28/03/2022

क्रमांक/वाद/2022/ 290 to 294
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री करीम खां पुत्र हकीम खां वगैरा 02,
4. विप्रार्थी श्री दुर्गाराम पुत्र पुरखाराम वगैरा 11,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक उपखण्ड अधिकारी
(P.O.) बायतु